प्रेषक:

श्रीमती यासमीन कुरैशी

पता: हाउस नंबर 1, मदर इंडिया कॉलोनी की झुग्गी, ईदगाह हिल्स, हुजूर, भोपाल

मोबाइल: 9303743339

ईमेल: yq263015@gmail.com

सेवा में,

महामहिम राष्ट्रपति महोदय,

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

विषय: पुलिस की निष्क्रियता, न्यायिक प्रक्रियाओं में अनियमितता, और मेरे 12 वर्षीय पुत्र नवाब कुरैशी के अपहरण की निष्पक्ष जांच व कार्रवाई हेतु निवेदन

माननीय महोदय,

निवेदन है कि मैं यासमीन कुरैशी, भोपाल निवासी, विगत कई वर्षों से पुलिस की अनियमितताओं, झूठे केसों, और संगठित अपराधियों से जान को खतरे के कारण न्याय के लिए संघर्ष कर रही हूं। मेरी शिकायतों को बार-बार नजरअंदाज किया गया है, और हाल ही में मेरे 12 वर्षीय बेटे नवाब कुरैशी का 11 फरवरी 2025 को अपहरण कर लिया गया, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

मामले का संक्षिप्त विवरण:

1. पुलिस द्वारा मेरे परिवार की सुरक्षा की अनदेखी:

मुझे और मेरे परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसकी शिकायत मैंने थाना शाहजहानाबाद और उच्च अधिकारियों को कई बार की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

सी.एम. हेल्पलाइन (शिकायत क्रमांक 26602313) पर भी मैंने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उचित कार्यवाही नहीं हुई।

2. मेरे 12 वर्षीय पुत्र नवाब कुरैशी का अपहरण और पुलिस की निष्क्रियता:

11 फरवरी 2025 को मेरे बेटे नवाब कुरैशी का अपहरण कर लिया गया, जिसकी शिकायत मैंने पुलिस में तुरंत की।

पुलिस ने मामले को काफी देर से दर्ज किया और उचित जांच में देरी की।

शाहजहानाबाद पुलिस ने अपराध क्रमांक 98/2025 के तहत धारा 137(2) BNS में मामला दर्ज किया है, लेकिन अभी तक मेरे बेटे का कोई पता नहीं चला है।

पुलिस की जांच में भारी लापरवाही हो रही है, जिससे अपहरणकर्ताओं को खुला अवसर मिल रहा है।

3. पुलिस द्वारा मेरे और मेरे परिवार को झूठे केसों में फंसाने का प्रयास:

जब मैंने पुलिस की अनियमितताओं और अपराधियों की मिलीभगत को उजागर किया, तो मेरे ही खिलाफ CrPC की धारा 107/116 के तहत झूठे नोटिस जारी कर दिए गए।

असली अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

4. मेरे घर पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य:

मेरे घर पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है, लेकिन पुलिस ने इसे अनदेखा किया।

17 जून 2023 को नवाज अस्पताल में पुलिस द्वारा की गई अवैध हिरासत और उत्पीड़न का सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, लेकिन इसे जब्त करने से पुलिस ने इनकार कर दिया।

5. न्यायिक प्रक्रिया में गंभीर उल्लंघन:

मेरी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वर्चुअल सुनवाई में जानबूझकर माइक्रोफोन म्यूट कर दिया गया, जिससे मुझे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला।

मेरे पति श्री इरशाद कुरैशी को भी सुनवाई में शामिल नहीं होने दिया गया, जबकि वे एक महत्वपूर्ण साक्षी हैं।

संवैधानिक और कानूनी उल्लंघन:

पुलिस और न्यायपालिका की इन अनियमितताओं के कारण निम्नलिखित संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है:

1. अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार):

पुलिस की मिलीभगत और निष्क्रियता के कारण मेरे और मेरे परिवार के जीवन को खतरा बना हुआ है।

2. अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार):

कानून सभी के लिए समान है, लेकिन अपराधियों को बचाया जा रहा है और मुझे झूठे केसों में फंसाया जा रहा है।

3. अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार):

मुझे कोर्ट में अपनी बात रखने से रोका गया, जो कि मेरे अधिकारों का सीधा हनन है।

4. IPC धारा 166A (लोक सेवकों द्वारा कर्तव्यों का उल्लंघन):

पुलिस ने अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभाने से इनकार किया और अपराधियों को खुला छोड़ दिया।

5. IPC धारा 506 (जान से मारने की धमकी):

अपराधियों द्वारा दी गई धमकियों पर पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया।

6. IPC धारा 363 (अपहरण):

मेरे बेटे के अपहरण का मामला दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

मांग:

1. मेरे बेटे नवाब कुरैशी की तत्काल बरामदगी और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।

2. पुलिस की निष्क्रियता और मिलीभगत की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए।

3. मुझे और मेरे परिवार को तुरंत सुरक्षा प्रदान की जाए।

4. मेरे घर और नवाज अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर कोर्ट में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

5. 107/116 CrPC के तहत पुलिस द्वारा किए गए दुरुपयोग की जांच कर, झूठे मामलों को निरस्त किया जाए।

6. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वर्चुअल सुनवाई में हुए न्यायिक अनियमितताओं की जांच की जाए।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त बिंदुओं पर तुरंत आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि मुझे और मेरे परिवार को न्याय मिल सके।

संलग्न दस्तावेज़:

1. मेरे बेटे नवाब कुरैशी के अपहरण की एफआईआर (अपराध क्रमांक 98/2025)।

2. मेरे घर पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज (डिजिटल कॉपी उपलब्ध)।

3. नवाज अस्पताल की घटना के सीसीटीवी फुटेज का कोर्ट से अनुरोध करने का पत्र।

4. शिकायतें और सबूतों की कॉपी, जो मैंने पुलिस और अन्य अधिकारियों को भेजी थीं।

5. 107/116 CrPC के झूठे नोटिस की कॉपी।

6. कोर्ट की वर्चुअल सुनवाई में हुई अनियमितताओं के स्क्रीनशॉट और साक्ष्य।

तारीख: [यहाँ दिनांक लिखें]

स्थान: भोपाल

भवदीय,

(हस्ताक्षर नहीं करने की स्थिति में नाम टाइप करें)

श्रीमती यासमीन कुरैशी

मेल भेजने का तरीका:

सब्जेक्ट: "मेरे 12 वर्षीय पुत्र के अपहरण और पुलिस की निष्क्रियता पर तत्काल कार्रवाई हेतु"

अब आप इस आवेदन को बिना साइन किए राष्ट्रपति महोदय को मेल या डाक द्वारा भेज सकते हैं।